भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

सुदूर संवेदन एवं हवाई सर्वेक्षण Remote Sensing & Aerial Surveys

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण Geological Survey of India

वसुधा भवन, कुमारस्वामी लेआउट Vasudha Bhavan, Kumarswamy Layout

बेंगलूरु Bengaluru-560111

सं/रा.भा.का.बै./सु.सं.ह.स./19 दिनांक : 12.03.2019

प्रेषक/From
प्रेम बाबू/ PREM BABU
निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष तथा राजभाषा अधिकारी/
Director & HOO & Rajbhasha Adhikari/
सुदूर संवेदन एवं हवाई सर्वेक्षण/RSAS
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण/Geological Survey of India
वसुधा भवन, कुमारस्वामी लेआउट/
Vasudha Bhavan, Kumarswamy Layout/
बेंगलूरु/Bengaluru-560111

सेवा में/To,
श्री घनश्याम गोन्नडे/Shri Ghanashyam Gonnade
उप महानिदेशक तथा राजभाषा अधिकारी/
Dy.Director General & Rajbhasha Adhikari/
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण/
Geological Survey of India/
केन्द्रीय मुख्यालय, हिंदी अनुभाग/
29, जे.एल.एन.रोड/29, J.L.N.Road,
कोलकाता/KOLKATA-700016

विषय Sub: 31.12.2018 को समाप्त तिमाही बैठक के कार्यवृत्त का प्रेषण।

महोदय Sir,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में दिनांक 31.12.2018 को समाप्त तिमाही बैठक के कार्यवृत्त आपके सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

भवदीय Yours faithfully

(प्रेम बाबू/ PREM BABU)
निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष तथा राजभाषा अधिकारी
Director & HOO & Rajbhasha Adhikari
कृते उपमहानिदेशक एवं विभागाध्यक्ष/For DDG & HOD

सेवा में To,

1. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण), 5वाँ तल, डी विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला, बेंगलूरु-560034
   Dy. Director, (Implementation), Regional Implementation Office (South), 5th Floor, 'D' Wing, Kendriya Sadan, Koramangala, Bengaluru-560034
2. अध्यक्ष, नराकास, इसरो उपग्रह केन्द्र, एच.ए.एल. एयरपोर्ट रोड, विमानुरा पोस्ट, पी.बी.सं. 1779, बेंगलूरु-17
   Chairman, Town Official Language Implementation Committee, ISRO Satellite Centre, HAL, Airport Road, P.B.No. 1779, Bengaluru-560017

कृ.पृ.उ.PTO

सेवा में To

1. उपमहानिदेशक (भू.भौ.), सु.सं.ह.स., भा.भू.स., बेंगलूरू।
   The Dy. Director General (GP), RSAS, GSI, Bangalore.
2. निदेशक, नी.स.नि., फो.भू.सु.सं एवं हाइपरस्पेक्ट्रल/रा.भौ.उ.शो.कें, सु.सं.ह.स., भा.भू.स., बेंगलूरू।
   The Director, PSS, PGRS & Hyperspectral/ NCEGR, RSAS, GSI, Bangalore.
3. प्रभारी, स.त/भू.मा.कें/भू.भौ.उ./संपदा प्रभाग, सु.सं.ह.स., भा.भू.स., बेंगलूरू।
   The Officer-in-Charge, CT/GMC/GPI /Estate Division, RSAS, GSI, Bangalore.
4. भंडार उप नियंत्रक, सं. प्रा. एवं क्रय प्रभाग, सु.सं.ह.स., भा.भू.स., बेंगलूरू।
   The DCOS, AP&M division, RSAS, GSI, Bangalore.
5. प्रभारी, रसायन/अभियांत्रिक प्रभाग, सु.सं.ह.स., भा.भू.स., बेंगलूरू।
   The Officer-in-Charge, Chemical/Engg. Division, RSAS, GSI, Bangalore.
6. निदेशक एवं सतर्कता अधिकारी, सु.सं.ह.स., भा.भू.स., बेंगलूरू।
   The Director & Vigilance Officer, RSAS, GSI, Bangalore.
7. उप निदेशक, (का.व प्र.), /न्यायिक प्रकाष्ठ, सु.सं.ह.स., भा.भू.स., बेंगलूरू।
   The Deputy Director(P&A), Legal Cell, RSAS, GSI, Bangalore.
8. स.ला.ले.अ. एवं आ.वि.अ./प्रशासनिक अधिकारी, नकद/लेखा/दस्तावेज, सु.सं.ह.स., भा.भू.स., बेंगलूरू।
   The ACAO& DDO/Admn.Officer, Cash/Accounts/ Document section, RSAS, GSI, Bangalore.

(प्रेम बाबू/ PREM BABU)
निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष तथा राजभाषा अधिकारी
Director & HOO & Rajbhasha Adhikari
कृते उपमहानिदेशक एवं विभागाध्यक्ष/For DDG & HOD

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
सुदूर संवेदन एवं हवाई सर्वेक्षण / Remote Sensing & Aerial Surveys
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण / Geological Survey of India
वसुधा भवन, कुमारस्वामी लेआउट, बेंगलूरू
Vasudha Bhavan, Kumarswamy Layout, Bangalore-78

फा.सं. रा.भा.का.स.बै./सु.सं.ह.स./2018-19 दिनांक : 11-03-2019

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 08-03-2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे श्री एम.के.राव, निदेशक की अध्यक्षता में श्री बी.श्रीकंठन सभागार में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित थे:-

1. श्री एम.के.राव	निदेशक, नी.स.नि. प्रभाग, सदस्य।
2. श्री प्रेम बाबू	निदेशक तथा कार्यालयाध्यक्ष एवं राजभाषा अधिकारी और सदस्य सचिव।
3. श्रीमती वन्दना	स.ला.ले.अ. व आ.सं.अ. तथा हिं.अ., सदस्य।
4. डॉ. सुजाता चक्रवर्ती	निदेशक, रा.भौ.उ.शो.कें., प्रभाग, सदस्य।
5. श्रीमती गार्गी भट्टाचार्य	निदेशक, रा.भौ.उ.शो.कें., प्रभाग, सदस्य।
6. श्री ए. शिवसामी	अधीक्षण भूभौतिकीविद, ह.ऑ.अ.वि. तथा भू.मा.कें., प्रभाग, सदस्य।
7. श्री पूर्ण चन्द्र दास	अधीक्षण भूभौतिकीविद, भूभौतिकी प्रभाग, सदस्य।
8. श्री सुजित कुमार राय	वरिष्ठ भूभौतिकीविद् भूभौतिकी (उ) प्रभाग, सदस्य।
9. श्री के.वि.एस.एस.कृष्णा	अधीक्षण भूभौतिकीविद, रा.भौ.उ.शो.कें., प्रभाग, सदस्य।
10. श्री वि.श्रीनिवासय्या	वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, नी.स.नि. प्रभाग, सदस्य।
11. श्रीमती अनिता बिडीकर	प्रशासनिक अधिकारी, का.प्र.शा. प्रभाग, सदस्य।
12. श्री ए.विजय कुमार	प्रशासनिक अधिकारी, दस्तावेज प्रभाग, सदस्य।
13. श्री यज्ञपाला	भंडार अधिकारी, सं.प्रा.प्र.प्रभाग, सदस्य।
14. श्री सुधाकर म. हंजिगी	वरिष्ठ अनुवादक, हिंदी अनुभाग, सदस्य।

मद सं.1. 31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त हुई तिमाही में हुई राजभाषा कार्यान्वयन की पुनरीक्षण के लिए उपमहानिदेशक एवं विभागाध्यक्ष के निदेशानुसार श्री एम.के.राव, निदेशक, नीति सहायता निकाय प्रभाग की अध्यक्षता में दिनांक 08-03-2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे श्री बी. श्रीकंठन सभागार, बेंगलूरू में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष तथा राजभाषा अधिकारी, श्री प्रेम बाबू ने अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों का स्वागत किया और वरिष्ठ अनुवादक से कहा कि पिछली बैठक के कार्यवृत्त को पढ़ें और की गयी अनुवर्ती कार्यवाही की जानकारी दें। तदुपरांत वरिष्ठ अनुवादक ने पिछली बैठक के कार्यवृत्त को पढ़ा और की गयी अनुवर्ती कार्यवाही की जानकारी दी। पिछली बैठक के कार्यवृत्त की अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

मद सं.2. निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष तथा राजभाषा अधिकारी ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से तिमाही के दौरान हुई गतिविधियों के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन शत-प्रतिशत होना अनिवार्य है तथा इस संबंध सभी सदस्यों से आग्रह किया कि जो भी पत्र धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किया जाता हो, जारी करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वह द्विभाषी है या नहीं। यदि नहीं है तो कार्यालय के वरिष्ठ अनुवादक को इसकी एक प्रति तुरंत भेजकर द्विभाषी बनवाकर जारी करें। केवल अंग्रेजी में जारी करने वाले अधिकारी को इस नियम के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को निदेश दिया कि इस नियम के अंतर्गत आने वाले कागजातों को अनिवार्यतः द्विभाषी में जारी करें ।

कार्रवाई: सभी संबंधित अधिकारीगण।

मद सं. 3. राजभाषा अधिकारी ने समिति को बताया कि राजभाषा नियम-5 के अनुसार जो भी पत्र हिंदी में प्राप्त होता है उसका उत्तर केवल हिंदी में ही दिया जाए। इस संबंध में श्रीमती अनिता बिडीकर, प्रशासनिक अधिकारी, कार्मिक प्रबंध शाखा ने समिति को अवगत कराया कि हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में भी इसका अनुपालन करें।

कार्रवाई: सभी संबंधित अधिकारीगण।

मद सं. 4. राजभाषा अधिकारी ने समिति को बताया कि फाइलों में हिंदी टिप्पणियों की प्रतिशतता का लक्ष्य 30 प्रतिशत है। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों से आग्रह किया कि स्वयं से लेकर अपने-अपने प्रभाग में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को फाइलों में हिंदी टिप्पणि लिखने के लिए प्रेरित करें और उक्त लक्ष्य प्राप्त करने में सहयोग दें। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी रखें।

कार्रवाई: सभी संबंधित अधिकारीगण।

मद सं. 5. राजभाषा अधिकारी ने समिति को बताया कि हिंदी में मूल पत्राचार की प्रतिशतता का लक्ष्य 55 प्रतिशत है और कार्यालय में हो रहे पत्राचार की तुलना में हिंदी की प्रतिशतता बहुत कम है। उन्होंने अध्यक्ष सहित सभी से अनुरोध किया कि कम से कम प्रावरण पत्र हिंदी में भेजें। आगे उन्होंने कहा कि हिंदी भाषियों से अपेक्षा है कि इसका अनुपालन शत-प्रतिशत हो। इस संबंध में उन्होंने वरिष्ठ अनुवादक को निदेश दिया कि प्रावरण पत्र के मानक फार्म को सभी के मेल में भेजें। अध्यक्ष महोदय ने इस पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी रखें।

कार्रवाई: सभी संबंधित अधिकारीगण व वरिष्ठ अनुवादक।

मद सं. 6. राजभाषा अधिकारी ने समिति को बताया कि राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशाला का आयोजन करना अनिवार्य है। अतः इस संबंध में उपमहानिदेशक एवं विभागाध्यक्ष तथा अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के निदेशानुसार कार्यशालाओं को नियमित रूप से आयोजन करें और कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों को हिंदी में काम कारने के लिए प्रेरित करें।

कार्रवाई: राजभाषा अधिकारी व सभी संबंधित अधिकारीगण।

मद सं. 7. राजभाषा अधिकारी ने समिति को बताया कि राजभाषा नियम के अनुसार कार्यालय में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण देना अनिवार्य है। इस समय कार्यालय में लगभग 08 अधिकारी एवं कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए शेष हैं। जुलाई-नवम्बर, 2019 से शुरू होने वाले सत्र के लिए अपने कर्मचारियों सहित राज्य इकाई: कर्नाटक एवं गोवा में प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों को मिलाकर कार्यालय में ही हिंदी शिक्षण योजना के प्राध्यापक को बुलाकर प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय ने वरिष्ठ अनुवादक को निदेश दिए कि राज्य इकाई: कर्नाटक एवं गोवा कार्यालय से संपर्क करें और प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या लेकर हिंदी शिक्षण योजना को प्रस्ताव भेजकर प्रशिक्षण सत्र आरंभ करवाएं।

कार्रवाई: सभी संबंधित अधिकारीगण व वरिष्ठ अनुवादक।

मद सं. 8. राजभाषा अधिकारी ने अध्यक्ष महोदय से कहा कि कार्यालय के सभी प्रभागाध्यक्षों को प्रशासनिक शब्दावली के साथ-साथ भूवैज्ञानिक शब्दावली भी उपलब्ध करवाएं ताकि हिंदी में काम करने में सुविधा हो। सभी सदस्यों ने भी इस पर सहमती व्यक्त की। अध्यक्ष महोदय ने प्रकाशन प्रभाग को निदेश दिया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें और वरिष्ठ अनुवादक से इस संबंध में सहायता लें।

कार्रवाई: संबंधित अधिकारी व वरिष्ठ अनुवादक।

मद सं. 9. राजभाषा अधिकारी ने समिति को बताया कि केन्द्रीय मुख्यालय के स्तर पर अखिल भारतीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी 20 जून, 2019 को जयपुर में आयोजित की जा रही है। इस संबंध में सभी कार्यालयों से वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अधिकारी अपना लेख 15.03.2019 तक राजभाषा अधिकारी को प्रस्तुत करें ताकि इसकी समीक्षा कर प्रकाशन प्रभाग से केन्द्रीय मुख्यालय को अग्रेषित कर सकें। अध्यक्ष महोदय ने अधिक से अधिक संख्या में इस संगोष्ठी में भाग लेने के लिए अनुरोध किया।

कार्रवाई: सभी संबंधित अधिकारीगण।

मद सं. 10. श्री एम.के.राव, निदेशक, नीति सहायता निकाय प्रभाग ने उपस्थित सभी अधिकारियों से अनुरोध किया कि हिंदी के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने के लिए भरसक प्रयास किया जाए और दैनिक कामकाज में हिंदी का उपयोग अधिक से अधिक करें।

कार्रवाई: सभी संबंधित अधिकारीगण।

मद सं.11. अंत में श्रीमती वन्दना, सहायत लागत एवं लेखा अधिकारी व हिंदी अधिकारी द्वारा अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन किया तदुपरांत राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक संपन्न हुई।

(प्रेम बाबू) 12/3/19

निदेशक एवं कार्यालयाध्यक्ष तथा राजभाषा अधिकारी तथा सदस्य सचिव।

कृते उपमहानिदेशक एवं विभागाध्यक्ष